

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

31

पत्रांक : 08 / प्र0अ0(त0स0-2) / जोन-2 / 2012-13 दिनांक 06 / 02 / 2015

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।


श्रीमती सीमा खॉन पत्नी श्री सहाबुद्दीन खॉन, श्रीमती शबनम बेगम पत्नी श्री अफलाक अहमद द्वारा पार्ट आफ आराजी संख्या-68/3 मौजा-रसूलपुर नवाबाद, परगना व तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अर्न्तगत दाखिल आवासीय भवन मानचित्र के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 04 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
4. स्थल का अधिभोग/उपयोग आवासीय प्रयोजन हेतु ही अनुमन्य होगा, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त किये जाने योग्य होगा।
5. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से की जायेगी।
6. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
7. अवस्थापना सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के क्रम में भवष्य में यदि कोई वित्तीय देयता/प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते हैं तो उसका भुगतान/अनुपालन आवेदक को करना बाध्यकारी होगा तथा इस हेतु दिये गये शपथ पत्र दिनांक 12.12.2014 का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
8. इण्डियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा दी गयी अनापत्ति पत्र संख्या-बीकेपीएल/एएलडी/एमएल/100.05 दिनांक 23.06.2014 में अंकित प्रतिबन्धों का अनुपालन बाध्यकारी होगा। (छायाप्रति संलग्न)
9. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
10. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
11. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
12. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
13. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
14. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
15. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अर्न्तगत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

Seema Khan
7/2/2015
to Secy - Seema Khan
9335164635

Sh. J. K.
8/2/2015
(पुष्कर श्रीवास्तव)
प्रभारी अधिकारी (त0स0-2)

- प्रतिबन्ध -**
- इतिहास से पूर्ण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही अद्यतन अनुमति लेनी।
 - अवस्थाना पृथिवी के परिधि में नगर आसुवा, नगर निगम इलाहाबाद द्वारा जो भी विहित देवाल/प्रतिबन्ध अस्ति किये जाने पर उसका पुराना/अद्यतन अनुमतिन कबजरी होना।
 - खेत पर 04 ठूठ लगाने हेतु तथा ठूठों को हटाना करने का दखिल अडरेक का होना।
 - टैक्स/टोल/चार्ज का कार्य भुक्त के अनुसार पूर्ण करके नू-नू जत दिना में अस्ति प्राप्त करना अनिवार्य होना। तत्पश्चात् जमा एम्बेडिड अमुनू किता जायेगा।
 - सोलर वॉटर हीटिंग सेक्टर की स्थापना अवश्यक होगी।
 - खेत का अधिभोग/उपयोग एकल अवस्थान प्रदान हेतु ही किया जायेगा, अन्यथा की विधि में मानचित्र सदा निराला किये जाने योग्य होगा।
 - इतिहास अडरेक कार्यालय द्वारा दी गई अवस्थिति पत्र नू-नू-नू/एम्बेडिड/एम्बेडिड/एम्बेडिड/100.05 दिनांक 23.08.2014 में अधिना प्रतिबन्धों का अडरेक अनुमतिन कर्ता होगा।
 - मानचित्र न्यायालय में कोई त्रुटि हरे अथवा उत्पन्न होने की विधि में प्रस्ताव स्वीकृति मानचित्र न्यायालय के निमित्त के अडरेक होगी।



ख स्वीकृत/निर्णय प्राप्त करने के चार ही दिनों में आवेदन प्रस्ताव विचार प्रक्रिया करवावे

02/02/15

02/02/15

02/02/15

02/02/15

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING		TOTAL AREA OF PLOT	
PLAN OF PART OF ARAZI NO- 68/3	SCHEDULE OF DOOR WINDOW & VENT	731.08	SQ. MT.
MUJAZA RASOOLPUR NAWAB PARGANA	1 DOOR D1 2000X2400	PROPOSED COV AREA ON G.F.	328.72
AND TEHSIL SADAR ALLAHABAD	2 DOOR D2 900X2400	PROPOSED COV AREA ON F.F.	291.52
OWNER- SMT. SEEMA KHAN	3 WINDOW W1 1500X2000	OPEN AREA ON G.F.	402.96
W/O - SRI. SAHABUDDIN KHAN	4 WINDOW W2 1500X2000	OPEN AREA ON F.F.	439.56
AND SMT. SHABNAM BEGUM	5 WINDOW W3 900X2000	OPEN AREA ON S.F.	439.56
W/O - SRI. AFLAQUE AHAMAD	6 VENT. V 2800X600	MUMTY AREA	18.24
SCALE 1:100		GROUND COVERAGE	44.89%
		F. A. R.	1.25

THIS IS TO CERTIFIED THAT THIS MAP IS ACCORDING TO BUILDING BYE LAWS 2008 AND ALLAHABAD MASTER PLAN - 2021

Shobana Bann
Seema Khan

RAMBACHAN RAY
ARCHITECT
Bachelor of Architecture
Member of Council of Architects
(G.A. Reg. No. CA/2065/1993)

REG. OF ARCHT.